Saini (Uttarakhand), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri Sandosh Kumar P (Kerala) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Now, Shri Prakash Chik Baraik - Request to release pending funds to the State of West Bengal used for key welfare and development schemes such as MGNREGS. माननीया श्रीमती ममता ठाकुर ने इस issue के साथ associate किया है।

Request to release pending funds to the State of West Bengal used for key welfare and development schemes such as MGNREGS

SHRI PRAKASH CHIK BARAIK (West Bengal): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for having given me the opportunity. महोदय, मेरा सरकार से पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य को विकास योजना, जैसे मनरेगा के लिए बकाया धनराशि जारी करने के लिए अनुरोध है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया है। मैं आज आपका और केंद्र सरकार का ध्यान अपने राज्य पश्चिमी बंगाल से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, 2021 में हुए विधान सभा चुनाव के बाद पश्चिमी बंगाल राज्य को मनरेगा योजना के तहत उनका वैध हिस्सा नहीं मिल रहा है। 59 लाख गरीब मजदूर परिवार, जिन्होंने वैध तरीके से काम किया है, उन्हें उनका वेतन नहीं मिला है। वे गरीब परिवार गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। महोदय, 20, 25, एवं 50 दिन तक काम करने के बावजूद भी उन्हें उनका वेतन नहीं मिला है। उनका वेतन रोकने का प्रयास न केवल नैतिक मूल्य की दृष्टि से गलत है, बल्कि कांस्टीट्यूशन के मूल एक्ट की विशेषताओं का भी उल्लंघन है। महोदय, अक़सर बढ़ती कीमत एवं व्यापक बेरोजगारी के कारण इन मजदूरों को बिना वेतन अपनी जीविका का प्रबंध करना अत्यंत कठिन हो रहा है। वर्तमान में MGNREGS के अंतर्गत पश्चिमी बंगाल 7 हज़ार करोड़ रुपये पाता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की आवास योजना के तहत जो धनराशि मिलती है, उसको भी रोककर रखा हुआ है। महोदय, इसमें पश्चिमी बंगाल के 11 लाख गरीब परिवारों का पैसा रोका गया है। अगर देखा जाए, तो आवास के बकाये 8 हज़ार करोड़ रुपये रोके गए हैं। इसी तरह से अगर Department-wise आवास एवं 100 दिन का बकाया देखा जाए, तो 15 हज़ार करोड़ रुपये रोके गए हैं। यह अत्यंत दुख की बात है। डिपार्टमेंट-वाइज़ 1 लाख, 70 हज़ार करोड़ रुपया रोका गया। बंगाल की माननीय मुख्य मंत्री सुश्री ममता बंद्योपाध्याय की अगुवाई में मनरेगा के 25,000 वर्कर्स को पैसा दिया गया। 11 लाख नहीं, बल्कि 12 लाख परिवारों को घर के नाम में, बांग्लार बाड़ी के नाम पर 1,20,000 रुपये दिए गए, जिसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा 31 दिसंबर तक दे दिया गया। धनराशि रोकना कांस्टिट्यूशनल एवं फेडरल स्ट्रक्चर का एक गंभीर उल्लंघन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप गरीब विरोधी न बनें, जन विरोधी न बनें, लोकतंत्र विरोधी न बनें। * ...(**व्यवधान**)...

---

* *Not recorded.*

अंततः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इन लाभार्थियों की धनराशि का भुगतान तुरंत करें एवं उनके अकाउंट में पैसा मिले और राज्य के अकाउंट में भी पैसा मिले। महोदय, *...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। यह बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी ...(व्यवधान)... आप केवल विषय पर बोल सकते हैं। अपने इस विषय के अलावा जो भी अतिरिक्त बात बोली है, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। You know the rules, please.

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by hon. Member, Shri Prakash Chik Baraik: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Dr. John Brittas (Kerala), Shrimati Sagarika Ghose (West Bengal), Ms. Sushmita Dev (West Bengal), Shri Mohammed Nadimul Haque (West Bengal), Shri A. A. Rahim (Kerala), Ms. Dola Sen (West Bengal), Shrimati Mausam B Noor (West Bengal) and Shri R. Girirajan (Tamil Nadu).

Now, Shri Amar Pal Maurya — 'Demand to establish Gram Sansad across the country under the Panchayati Raj system'.

Demand to establish Gram Sansad across the country under the Panchayati Raj system

श्री अमर पाल मौर्य (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। भारत मुख्य रूप से गांवों का देश है। भारत की कुल आबादी का लगभग 70 प्रतिशत गांवों में बसता है। मैं भी गांव का एक किसान हूं। महोदय, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि विकास और शासन के मुख्य तत्व बड़े शहर नहीं हैं, उनका केंद्र बिंदु ग्राम है और भारत देश गांवों में बसता है। गांवों की व्यवस्था केवल कुछ दशक पुरानी नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी व्यवस्था है।

महोदय, जिस प्रकार यह देश की संसद है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता बैठकर देश के विकास की चर्चा करते हैं, उसी प्रकार से गांव की भी अपनी एक संसद हो और वहां पर गांव के विकास की चर्चा हो और उसकी योजना बने। महोदय, देश में ढाई लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं और 6 हज़ार से ज्यादा ब्लॉक्स हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां ऐसी 58,194 ग्राम पंचायतें हैं, 7,32,000 से ज्यादा वार्ड के सदस्य हैं और 77 हज़ार से ज्यादा क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं। महोदय, इन सबको मिलाकर एक ग्राम संसद की स्थापना हो और जैसे हम यहां बैठकर विकास की चर्चा करते हैं, वैसे ही वह अपने गांव की चर्चा का एक केंद्र बिंदु बने। महीने में कम से कम 10 दिन ग्राम के विकास की योजनाओं को ग्राम पंचायत में बैठकर चर्चा का केंद्र बिंदु बनाया जाए, चूंकि अभी देखा जाता है कि गांव में ग्राम प्रधान और ग्राम सेक्रेटरी के बीच में ही गांव की पूरी योजना थैले में बंद रहती है। महोदय, पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सारे लोगों ने हमेशा सुधार की चर्चाएं की हैं, चाहे 1957 में बलवंत राय मेहता की समिति हो, 1963 में के. संथानम की समिति हो, 1978 में अशोक मेहता की समिति हो, 1985 में जी.वी.के. राव की समिति हो और 1986 में